माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का संबोधन

(SAARC गृह मंत्रियों की छठी बैठक)

काठमांडू, नेपाल

(19 सितम्बर, 2014)

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यहां उपस्थित राजनेता, मेरे प्रतिष्ठित सहयोगी, देवियो और सज्जनो ! आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको इस बैठक का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देता हूं। मैं, नेपाल सरकार द्वारा व्यक्तिगत रूप से मेरा और मेरे प्रतिनिधिमंडल के स्वागत और सत्कार के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।

आज, हम **22 - 27 नवम्बर, 2014** के बीच **प्रस्तावित 18वें SAARC सम्मेलन** से पहले नेपाल के ऐतिहासिक शहर काठमांडू में मिल रहे हैं। हमें **4 - 6 जनवरी, 2002** को काठमांडू में हुए **11वें SAARC सम्मेलन** में लिए गए ऐतिहासिक निर्णय याद आ रहे हैं, जिसमें हमारे Leaders ने एक दूरगामी रणनीति निर्धारित की थी कि हम किस प्रकार से अपने लोगों की आर्थिक खुशहाली के साझे लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद, एक चरणबद्ध और सुनियोजित प्रक्रिया के तहत, वर्ष के अंत तक **Free Trade Agreement** के Draft को अंतिम रूप देने तथा **South Asian Economic Union** के कार्यान्वयन पर

हम सहमत हुए थे। यह हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वप्न है, जिन्होंने उस समय, एक **South Asian Monetary Union** की स्थापना के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे।

भारत के लोगों के मजबूत और स्पष्ट जनादेश के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी मौजूदा सरकार अभी लगभग 100 दिन पहले, **26 मई, 2014** को ही अस्तित्व में आई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपना कार्य भार ग्रहण करने के पूर्व ही एक स्थिर, शांतिपूर्ण और खुशहाल दक्षिण एशियाई क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तौर पर यह निर्णय ले लिया था कि वे नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में अपने सम्माननीय अतिथियों के तौर पर SAARC के सभी देशों के नेताओं को आमंत्रित करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी प्राथमिकता यह थी कि लोगों के कल्याण और खुशहाली के लिए, वे अपने SAARC पड़ोसियों को व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर, साथ मिलकर काम करने के महत्व के बारे में उन्हें आश्वस्त कर सकें।

प्रधानमंत्री के जो पहले द्विपक्षीय दौरे रहे, वे हिमालय क्षेत्र में स्थित हमारे दो पड़ोसी देशों, भूटान और नेपाल के थे, जिनके साथ हमारी सीमाएं खुली हुई हैं और जिनसे हमारे संबंध प्रगाढ़ रहे हैं। मैं अपने सभी SAARC पड़ोसियों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की प्राथमिकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराना चाहता हूं।

एक प्रमुख मुद्दा, जो हम सभी से जुड़ा है, वह **आतंकवाद** का है, जो आंतरिक, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कारणों से प्रेरित होता रहता है और यह राष्ट्रीय सीमाओं से परे है। 11 सितम्बर, 2001 को अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमलों के बाद, अफगानिस्तान में उभरी एक नई स्थिति से, हमारे पड़ोस के रणनीतिक वातावरण में काफी बदलाव आया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने प्रजातांत्रिक रूप से चुनी गई अफगानिस्तान सरकार को अभूतपूर्व सहयोग दिया है। हम आशा करते है कि यह सहयोग जारी रहेगा। परन्तु, अफगानिस्तान से विदेशी बलों को हटाए जाने पर समूचे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में पड़ने वाले इसके प्रभाव का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने की आवश्यकता है, जिसके संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहायता की जरूरत होगी ताकि यह क्षेत्र स्थिरता, शांति और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ सके। अफगानिस्तान में शांति, स्थिरता और आर्थिक विकास से हम सभी के साझा और महत्वपूर्ण हित जुड़े हुए हैं। हम भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे दक्षिण एशियाई देशों में उग्रवाद, आतंकवाद और हिंसा के नए खतरों तथा हो रही हिंसा के प्रति काफी चिंतित हैं।

तेजी से बदलते हुए इस सुरक्षा परिदृश्य में **कट्टर और उग्र विचारधारा** रखने वाले समूह हम सभी देशों के लिए खतरा हैं। इन समूहों को पड़ोसी और आसपास के देशों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से धमकियां देने में कोई झिझक भी नहीं होती। इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ एक मामला **Fake Currency** के प्रसार का है। यहां मैं, Fake Currency

के प्रसार के मुद्दे से निपटने में मेजबान देश नेपाल के सहयोग का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा। परन्तु, हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि हम सामूहिक रूप से इस मुद्दे, जिसमें न केवल आतंकवादी गतिविधियां शामिल हैं बल्कि इससे आर्थिक अस्थिरता भी जुड़ी हुई है, से कैसे निपटें। इसके अलावा यह भी आवश्यक होगा कि सभी दक्षिण एशियाई देश अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के आरपार आतंकवाद और हिंसा की वकालत करने और उसको बढ़ावा देने वाले लोगों, संगठनों और प्रकाशनों को सख्त दंड दिए जाने के संबंध में कानून बनाएं।

मैं नवम्बर, 2008 में मुम्बई महानगर पर हुए आतंकवादी हमलों के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों को न्याय दिलाने में हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराना चाहूंगा। भारत सरकार, **SAARC Regional Convention** और इसके **Additional Protocol** को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत का यह मानना है कि सभी देश व्यापक एवं समर्थकारी विधान अपनाएं और अपने स्वदेशी कानूनों में ऐसे अपराधों को शामिल करें तथा **Extradition** संबंधी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाएं और यदि Extradition की अनुमति न मिले तो अपराधियों पर अभियोग चलाने के लिए अपने-अपने देश के न्यायालयों के लिए व्यापक अधिकारिता का प्रावधान करें। कुछ सदस्य देशों ने वर्ष 2008 में हस्ताक्षरित **Convention on Mutual Assistance on Criminal Matters** को **Ratify** नहीं किया है, अत: मैं उनसे इसका आग्रह करूँगा। मैं **Criminal**

Matters में हर संभव पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए उनसे समर्थन का भी आग्रह करूंगा।

मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी सीमाओं पर स्थित कई राज्यों में **Drugs Smuggling** के कारण हम गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इस खतरे से वह देश भी प्रभावित होता है जहां ये **Narcotics Substances** बनाएं जाते हैं और वह देश भी जहां ये भेजे जाते हैं। इस प्रकार की Smuggling से प्राप्त होने वाली राशि का इस्तेमाल अक्सर आतंकवादी गतिविधियों में किया जाता है। हमें वैश्विक स्तर पर बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाने के साथ-साथ घरेलू कानून को सुदृढ़ करने तथा **Regional Convention on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances** के कार्यान्वयन में और अधिक सहयोग किए जाने की आवश्यकता है।

इस बैठक से हमें **Cyber Crime, Human Trafficking and Illegal movement of Arms** जैसे साझा हितों के मुद्दों पर भी चर्चा करने का अवसर मिला है।

एक महत्वपूर्ण मुद्दा **भ्रष्टाचार** है जिससे हम सभी को व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से निपटने की आवश्यकता है। हमने अपने लोगों को **Zero Tolerance for Corruption** की नीति का वायदा किया है। भारत, वर्ष **2005 से UN Convention on Corruption** का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। हमारा यह प्रयास है कि हम अपने सभी कानूनों को इस **Convention** की अवधारणा के अनुरूप बनाएं। हम इस बात पर

चर्चा कर सकते हैं और सहमत हो सकते हैं कि क्षेत्रीय तौर पर हम किस प्रकार से इस मुद्दे से निपटने में एक-दूसरे का सहयोग करें ।

वास्तव में हम अपने प्रशासनिक अनुभवों को भी साझा कर सकते हैं। यहां मेरा यह सुझाव है कि एक **SAARC Centre for Good Governance** की स्थापना की जाये जहां सभी देशों के प्रशासनिक अधिकारी विकास एवं सुशासन की प्रक्रिया से जुड़े अपने अनुभवों को एक-दूसरे के साथ साझा कर सकें। इससे न केवल दक्षिण एशिया में विकास की सकारात्मक धारा सुदृढ़ होगी बल्कि सुशासन के साझा स्वप्न को भी साकार करने में सहायक होगी।

वर्ष 2002 में काठमांडू में हुए सार्क सम्मलेन के दौरान, हम दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण एवं प्रगति के बारे में **Regional Economic Integration** को बढ़ावा देने से संबंधित एक Roadmap पर सहमत हुए थे। मैं, इस ऐतिहासिक शहर में होने वाली चर्चा के प्रति काफी आशान्वित हूं, जिससे नवम्बर, 2014 में काठमांडू में आयोजित होने वाले आगामी सार्क सम्मेलन एक ऐसा आधार बन सकेगा जिससे कि क्षेत्रीय लोगों के बीच आपसी सद्भावना, शांति और प्रगति की मजबूत बुनियाद स्थापित हो सकेगी।

महानुभाव, अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि सार्क के गृह मंत्रियों की वार्षिक बैठक से भारत को विशेष रूप से आतंकवाद और सामान्य तौर पर संगठित अपराध के विरुद्ध इस क्षेत्र में सार्थक एवं महत्वपूर्ण सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालने का सुअवसर मिला है। मैं

सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर relevant **SARRC Agreements & Conventions** को सभी सार्क देशों द्वारा कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता को दोहराता हूं।

मेरे विचारों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं।

.....